भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4309
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में जनऔषधि केन्द्र

4309. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में और अधिक जन औषधि केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संपूर्ण देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित जन औषधि केन्द्रों की जिलावार क्या स्थिति है;

(घ) क्या जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से किसी व्यक्ति को मिलने वाले वित्तीय लाभों के बारे में कोई आंकड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दुर्लभ, कैंसर और अन्य प्रमुख बीमारियों की दवाओं सहित सभी दवाओं को जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से लाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने का निर्णय लिया है। देश के सभी जिलों से www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नए जेएके खोलने के लिए कोई क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। दिनांक 30.11.2024 तक नंदयाल जिले में कुल 6 जेएके खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जन औषधि ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी की है। दिनांक 30 नवंबर 2024 तक पीएसीएस में 687 केंद्र खोले जा चुके हैं, जिनमें से 121 जेएके आंध्र प्रदेश में खोले गए है।

(ग): आंध्र प्रदेश में 270 जेएके खोले गए हैं। आंध्र प्रदेश में खोले गए जेएके की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत, सरकार उद्यमियों को निम्नलिखित माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:-

i. सभी उद्यमियों द्वारा संचालित जेएके, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीएमबीआई से जुड़े हैं, भंडारण अधिदेश के अनुसार विनिर्दिष्ट दवाओं के स्टॉक को बनाए रखने पर, 20% की दर से 20,000 रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा तक क्रय-आधारित प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

ii. पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए या महिला उद्यमी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा खोले गए जेएके को 2.00 लाख रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (फर्नीचर, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरणों के लिए सहायता के रूप में) प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, पीएमबीजेपी के अंतर्गत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल्स/उपकरणों को उत्पाद टोकरी के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल दवाएं, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि शामिल हैं।

<u>**अनुलग्नक**</u>

आंध्र प्रदेश में जन औषधि केन्द्रों के संबंध में डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 20.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4309 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.11.2024 तक आंध्र प्रदेश राज्य में खोले गए जन औषधि केन्द्रों की जिला-वार संख्या		
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**खोले गए जेएके की संख्या**
1	अनंथापुरमु	12
2	चित्तूर	12
3	वाई.एस.आर	8
4	पूर्व गोदावरी	13
5	गुंटूर	22
6	कृष्णा	7
7	कुरनूल	18
8	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	8
9	प्रकाशम	15
10	श्रीकाकुलम	7
11	विशाखापत्तनम	8
12	विजयनगरम	7
13	पश्चिमी गोदावरी	14
14	पार्वतीपुरम मन्याम	3
15	अनकापल्ली	9
16	अल्लूरी सीताराम राजू	3
17	काकीनाडा	6
18	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	10
19	एलुरु	13
20	एनटीआर	17
21	बापतला	10
22	पल्नाड़ु	12
23	तिरुपति	12
24	अन्नमय्या	8
25	श्री सत्य साई	10
26	नांदयाल	6
कुल		**270**

*****